



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2008/वैशाख 23, 1930

No. 267]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2008/VAISAKHA 23, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2008

सा.का.नि. 374(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अभियोजन फाइल करने और उनका संचालन के प्रयोजनों के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय के गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है :-

1. श्रीमती अनिशा घई, ज्येष्ठ सहायक निदेशक
2. श्री धर्मवीर सिंह, ज्येष्ठ सहायक निदेशक
3. श्री सुधीर मेहता, सहायक निदेशक
4. श्री अनुपम वशिष्ठ, सहायक निदेशक
5. श्री पी. के. खन्ना, सहायक निदेशक
6. श्री आई. एच. अंसारी, सहायक निदेशक

[फा. सं. 3/5/2004/सी. एल.-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2008

G.S.R. 374(E).— In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorizes the following officers in the Serious Fraud Investigation Office (SFIO), Ministry of Corporate Affairs for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956:—

1. Smt. Anisha Ghei, Senior Assistant Director
2. Dharamvir Singh, Senior Assistant Director
3. Shri Sudhir Mehta, Assistant Director
4. Shri. Anupam Vashishta, Assistant Director
5. Shri P. K. Khanna, Assistant Director
6. Shri I. H. Ansari, Assistant Director

[F. No. 3/5/2004/CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.